



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

16 चैत्र, 1944 (श०)

संख्या - 151 राँची, बुधवार,

6 अप्रैल, 2022 (ई०)

खान एवं भूतत्व विभाग

अधिसूचना

6 अप्रैल, 2022

संख्या-ख०नि०स्था०(क्षे०)-34/05-790-एम०, राँची, 'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए झारखण्ड राज्यपाल एतद् द्वारा झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2010 (यथा संशोधित 2015 एवं 2018) में संशोधन करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ:-

(i) यह नियमावली " झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा (संशोधन) नियमावली, 2022 कहलाएगी ।

(ii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा ।

(iii) यह नियमावली झारखण्ड गजट में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगा ।

2. झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2010 (यथा संशोधित 2015 एवं 2018) के नियम-11 में निम्नांकित प्रावधान है:-

” 11. तकनीकी अहर्ता:-

”कोई व्यक्ति सेवा में नियुक्ति का पात्र तभी होगा, जब वह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन) एवं/या झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा धारण करता हो।”

उक्त को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-

” 11. तकनीकी अहर्ता:-

”कोई व्यक्ति सेवा में नियुक्ति का पात्र तभी होगा, जब वह अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन) एवं/या झारखण्ड सरकार द्वारा अनुमोदित किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा धारण करता हो। उच्च तकनीकी योग्यताधारी भी आवेदन के पात्र होंगे।

उक्त अनिवार्य योग्यता के अतिरिक्त अभ्यर्थियों को मैट्रिक/10वीं कक्षा झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा तथा अभ्यर्थी को स्थानीय रीति-रिवाज, भाषा एवं परिवेश का ज्ञान होना अनिवार्य होगा।

परन्तु यह कि झारखण्ड राज्य की आरक्षण नीति से आच्छादित अभ्यर्थियों के मामले में झारखण्ड राज्य में अवस्थित मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्थान से मैट्रिक/10वीं कक्षा उत्तीर्ण होने सम्बन्धी प्रावधान शिथिल रहेगा।”

3. झारखण्ड अवर खनन अभियंत्रण सेवा नियमावली, 2010 (यथा संशोधित 2015 एवं 2018) के नियम-15 में निम्न प्रावधान किए गए हैं:-

” 15:- आयोग द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार किया जाएगा तथा लिखित वस्तुनिष्ठ एवं लघु उत्तर प्रकार की परीक्षा आयोजित किया जाएगा, परीक्षा के पाठ्यक्रम में खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा का पाठ्यक्रम, सामान्य ज्ञान एवं पर्यावरण शामिल रहेगा।

15(i) परीक्षा पत्र में निम्नांकित समाविष्ट रहेगा:-

पत्र	विषय	परीक्षा का समय	पूर्णांक	न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में)	
1	खनन अभियंत्रण में डिप्लोमा स्तर	2 घंटे	150	40	सामान्य के लिए/
				32	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला वर्ग
				36.5	पिछड़ा वर्ग
				34	पिछड़ा वर्ग एनेक्सर-1 के लिए

2	सामान्य ज्ञान एवं पर्यावरण	1 घंटा	50	40	सामान्य के लिए/
				32	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला वर्ग
				36.5	पिछड़ा वर्ग
				34	पिछड़ा वर्ग एनेक्सर-1 के लिए

उक्त को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जाता है:-

” 15:- आयोग द्वारा प्राप्त सभी आवेदनों पर विचार किया जाएगा तथा लिखित वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय उत्तर युक्त प्रकार की परीक्षा आयोजित किया जाएगा, परीक्षा के पाठ्यक्रम में सामान्य अभियंत्रिकी एवं सामान्य ज्ञान, तथा खनन अभियंत्रण शामिल रहेगा ।

15(i) परीक्षा पत्र में निम्नांकित समाविष्ट रहेगा:-

पत्र	विषय	परीक्षा का समय	प्रश्नों की संख्या	न्यूनतम अर्हकारी अंक (प्रतिशत में)		
1	सामान्य अभियंत्रिकी	2 घंटा	80	40	सामान्य के लिए/	
	सामान्य ज्ञान			32	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला वर्ग	
				40		
				कुल 120	36.5	पिछड़ा वर्ग (अनु०-II)
					34	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु०-I)
					30	आदिम जनजाति समूह
				40	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)	

2	खनन अभियंत्रण	2 घंटा	120	40	सामान्य के लिए/
				32	अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति/ महिला वर्ग
				36.5	पिछड़ा वर्ग (अनु०-II)
				34	अत्यंत पिछड़ा वर्ग (अनु०-I)
				30	आदिम जनजाति समूह
				40	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS)

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

पूजा सिंघल,
सरकार के सचिव ।
